



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53644

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 10495 वर्ष 2026

मणिबहादुर सिंह उर्फ बेचन सिंह

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: चितरंजन सिंह, हर्ष कुमार मिश्रा, सुमित शुक्ला

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार

1. अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री हर्ष कुमार मिश्रा ने तर्क दिया कि वर्तमान आवेदन आरोप पत्र दिनांक 27.04.2025 और संज्ञान आदेश दिनांक 01.05.2025 के साथ-साथ थाना-रेवती, जिला-बलिया के मुकदमा अपराध संख्या 28 वर्ष 2025, धारा 103(1), 238, 61(2) बीएनएसएस से उत्पन्न वाद संख्या 6759 वर्ष 2025(राज्य बनाम मणिबहादुर सिंह व अन्य) की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया गया है और इसलिए, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई है।

2. अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त आवेदक को मामले में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी मृतक के चाचा द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। मामला चंद्रवती और भिखारी यादव के बीच प्रेम प्रसंग से संबंधित है। चंद्रवती का विवाह लक्ष्मण यादव से हुआ है। मृतक इस संबंध के बारे में लक्ष्मण यादव को जानकारी दिया करता था। मृतक का शव एक सुनसान जगह से बरामद हुआ था। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो अभियुक्त आवेदक की ओर इशारा करती हो, जिसे केवल सीडीआर के आधार पर इस मामले में फंसाया जा रहा है, जिसमें भिखारी यादव और अभियुक्त आवेदक के बीच मोबाइल पर बातचीत हुई है। अभियुक्त आवेदक की निशानदेही पर ईंट की बरामदगी कानून और लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं है। आवेदक 18 वर्षीय कॉलेज जाने वाला लड़का है और यदि उसे इस मामले में फंसाया गया तो उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अतः, प्रार्थना की गई कि आरोप पत्र और कार्यवाही को रद्द किया जाए।

3. राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक ने उन्मोचन आवेदन नहीं प्रस्तुत किया है और वह सीधे आरोप पत्र को रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्ति का आह्वान करते हुए इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है। आगे प्रस्तुत किया गया कि मामले की कार्यवाही जारी रखने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

4. विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करने का कोई औचित्य नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

5. इस न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा दिए गए विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. प्राथमिकी दिनांक 27.01.2025 को थाना-रेवती, जिला-बलिया में दोपहर 13:15 बजे अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या और साक्ष्य मिटाने के अपराध के लिए दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में यह कहा गया है कि 26.01.2025 को सूचनादाता के भतीजे, जिसका नाम जयशंकर यादव उर्फ श्रवण यादव था और जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी, को रात 8:00 बजे एक फोन आया। वह चला गया और वापस नहीं लौटा। तलाश करने पर मृतक नहीं मिला। 27.01.2025 को एक फोन कॉल प्राप्त हुई जिसमें सूचित किया गया कि मेघामठ स्कूल के पीछे क्षत-विक्षत चेहरे वाला एक शव पड़ा है। प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतक के शरीर पर मृत्यु-पूर्व चोटें पाई गईं और मृत्यु का कारण एक दिन पहले मृत्यु-पूर्व सिर की चोटों के परिणामस्वरूप सदमा और रक्तस्राव बताया गया। मृत्यु-पूर्व चोटें इस प्रकार हैं:-

- "1. कटे-फटे घाव का आकार 10 सेमी x 2 सेमी हड्डी तक गहरा, रक्तस्राव मौजूद।
2. बाईं भौंह के ऊपर 8 सेमी x 2 सेमी आकार का कटा-फटा घाव और हड्डी की गहराई तक चोटें तथा रक्तस्राव मौजूद।
3. बाएं जबड़े के नीचे 8 सेमी x 3 सेमी आकार का कटा-फटा घाव और रक्तस्राव मौजूद।
4. बाएं कान के ऊपर से 6 सेमी ऊपर कनपटी वाले हिस्से में कटा-फटा घाव।
5. दाहिने निप्पल से 6 सेमी ऊपर 3 सेमी x 2 सेमी की गहराई तक मांसपेशीय चोटों वाला कटा-फटा घाव।
6. दाहिने कान पर कई कटे-फटे घाव।"

7. मृतक की पत्नी के बयान से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि उसके पति, मृतक के चंद्रवती देवी के पति लक्ष्मण यादव के साथ अच्छे संबंध थे। चंद्रवती देवी उसके पति को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसके घर पर विभिन्न व्यक्ति आया करते थे। सह-अभियुक्त भिखारी यादव ऐसा ही एक व्यक्ति है जो चंद्रवती के पास आता था। अंत में, उसने कहा कि वर्तमान अभियुक्त आवेदक का भिखारी यादव से संबंध है और उसने उसके साथ मिलकर उसके पति की हत्या की है। सीडीआर विवरण आवेदक की सह-अभियुक्त के साथ नियमित बातचीत को दर्शाता है। पुलिस ने अभियुक्त आवेदक की गिरफ्तारी के बाद ईंट बरामद की है जिसके बारे में अभियुक्त ने खुलासा किया था कि इसका उपयोग मृतक को मारने के लिए किया गया था। प्रकटीकरण बयान पर ईंट की बरामदगी विचारण का विषय है। चूंकि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का है, जहां एकसद और घटनाओं की श्रृंखला को साक्ष्य की कसौटी पर परखा जाना है। इस न्यायालय को अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के पर्याप्त कारण नहीं मिलते हैं, क्योंकि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम मामले के दायरे में नहीं आता है।

8. सीआरपीसी की धारा 482 या बीएनएसएस की धारा 528 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों का दायरा बहुत व्यापक है, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी के साथ और दुर्लभ से दुर्लभतम तथा उपयुक्त मामलों में ही किया जाना चाहिए। यह शक्ति अपनी मर्जी और मनमर्जी के अनुसार कार्य करने का मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है और इसका उपयोग कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। कानून का यह सिद्धांत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाम हरियाणा राज्य, (1997) 4 एससीसी 451 और हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्लीमेंट्री (1) एससीसी 335 के मामलों में प्रतिपादित किया गया है। सोम मित्तल बनाम कर्नाटक सरकार, (2008) 3 एससीसी 574 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 482 सीआरपीसी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के दायरे का वर्णन करते हुए 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामले' की अभिव्यक्ति दी है। यह दृष्टिकोण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक निरंतर बनाए रखा गया है, जो अनेक निर्णयों द्वारा स्थापित है, जिनमें नवीनतम नरेश पॉटरीज बनाम आरती इंडस्ट्रीज, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 18 और पुनीत बेरीवाला बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी), 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 983 हैं।

9. तदनुसार, आवेदन खारिज किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण जेठवाला)

17 मार्च, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"